झारखण्ड विधान सभा में श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 की दिनांक–11.03.2022 को अनागत अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–36 का अद्यतन उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	पूर्व में प्रेषित उत्तर	वर्तमान उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0–37 (4) दिनांक–20.11.2021 के अनुसार प्रत्येक निजी अस्पताल के द्वारा अपने मरीजों के लिए रक्त की माँग के अनुसार रक्त शिविरों का आयोजन कर संलग्न रक्त केन्द्र के सहयोग से रक्त संग्रह नियमित रूप से करना अनिवार्य होगा तथा निजी अस्पताल के द्वारा अगर रक्तदान शिविर नहीं लगाया जाता है तो कालान्तर में उक्त अस्पताल को रक्त नहीं देने संबंधी निर्णय पर विचार किया जा सकता है ;	स्वीकारात्मक।	यथावत।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के अधिकांश निजी अस्पतालों द्वारा रक्त संग्रह हेतु रक्त शिविर का आयोजन नहीं किया जाता है ;	वस्तुस्थिति यह है कि National Blood Transfusion Council एवं State Blood Transfusion Council के निर्णय के अनुसार मरीजों को बिना Replacement ब्लड उपलब्ध कराने हेतु निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि National Blood Transfusion Council एवं State Blood Transfusion Council के निर्णय के अनुसार मरीजों को बिना Replacement ब्लड उपलब्ध कराने हेतु निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि अस्पताल में भर्ती मरीजों को तत्काल रक्त उपलब्ध कराया जा सके।
3.	क्या यह बात सही है कि रक्त शिविर आयोजित नहीं करने वालों द्वारा अस्पताल मरीजों से रक्तदाता का जुगाड़ करने के लिए कहा जाता है, जब कि राष्ट्रीय रक्त नीति के अनुसार ऐसा करने की मनाही है ;	विभागीय संकल्प सं0–37(4) दिनांक–20.11.2021 के अनुपालन में अस्पतालों तथा संस्थानों द्वारा शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। कालान्तर में उक्त प्रयास से शत प्रतिशत मरीजों जिन्हें रक्त की आवश्यकता होती है, के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा, विभिन्न अस्पतालों के द्वारा सरकारी रक्त केन्द्रों से रक्त प्राप्त कर मरीजों की चिकित्सा हेतु रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम में चिकित्साधीन मरीजों के उपचार हेतु सरकारी रक्त केन्दों से रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।	अस्वीकारात्मक। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने तथा रक्त संग्रह बढाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास के क्रम में निर्गत संकल्प संख्या 37(4) स्वतः स्पष्ट है। उक्त संकल्प के अनुपालन में अस्पतालों तथा संस्थाओं द्वारा शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है तथा कालान्तर में उक्त प्रयास से शत–प्रतिशत मरीजों जिन्हे रक्त की आवश्यकता होती है, के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा, विभिन्न अस्पतालों के द्वारा सरकारी रक्त केन्द्रों से रक्त प्राप्त कर मरीजों की चिकित्सा हेतु रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम में चिकित्साधीन मरीजों के उपचार हेतु सरकारी रक्त केन्दों से रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि राज्य के किन–किन निजी अस्पतालों ने कब–कब रक्तदान शिविर लगाया है और जिन निजी अस्पतालों ने रक्तदान शिविर नही लगाया है, उनके विरूद्ध सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	माह नवम्बर, 2021 से माह जनवरी, 2022 तक रक्त केन्द्रों से प्राप्त प्रतिवेदन सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है। विभागीय संकल्प सं0–37(4) दिनांक–20.11.2021 की कंडिका–2(V) के अनुसार निजी अस्पताल द्वारा अगर रक्तदान शिविर नहीं लगाया जाता है, तो कालान्तर में उस अस्पताल को रक्त नहीं देने संबंधी निर्णय पर विचार किये जाने का प्रावधान है, जिसके आलोक में कालक्रम में आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाएगी।	उपर्युक्त कंडिकाओं के आलोक में निजी अस्पतालों के विरूद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं बनता है। सुलभ प्रसंग हेतु रक्त केन्द्रों से प्राप्त प्रतिवेदन की सूची संलग्न (ANNEXURE - I)